


अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....बायतु..... बनाम मोहनराम कौराकिस्म मुकदमा रज. आवे. 50/19 नं. 50/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिणधाराम सिंघाण</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पॉडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/2/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
25/2/19	<p>प्रार्थी काउंसिल उपर। विप्रार्थी</p> <p>का के नोटिस तलब शुद्ध</p> <p>याद। जिन काउंसिल पत्रावली</p> <p>विप्रार्थी का। विप्रार्थी का वाक्युड</p> <p>तलब शुद्ध। श्रीमान पीठानी</p> <p>आयुक्ती डिवा. कार्पे के</p> <p>काउंसिल लीने से पत्रावली</p> <p>काउंसिल डिवा. 27/3/19 के</p> <p>पेश हो।</p>	



27/3/19

गार्ड ऑफिस उपर / विद्यार्थी मंगल
सुपना मठ / श्रीमन् पीठाधीश्वर आदि
विगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर पत्रावली मांगानी दिनांक
29/5/19 को पेश हो।

29/5/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपरिपत्त। पीठाधीश्वर आदि
कारी विगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 3/7/19 को
पेश हो।

3/7/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपरिपत्त। पीठाधीश्वर आदि
कारी विगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 21/10/19 को
पेश हो।

21/10/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपरिपत्त। पीठाधीश्वर आदि
कारी विगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 23/12/19 को
पेश हो।

23/12/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपरिपत्त। पीठाधीश्वर आदि
कारी विगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 19/2/2020 को
पेश हो।

2/1/20

19/2/2020

19/2/2020

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

19/02/2020

अर्थी वहील उपस्थित। विवाधीगण
बाबडुड लामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय
तीन बार काकाज लगाने गई फलितम काकाज
5.45 PM पर लगाने गई विवाधीगण स्वयं का
उन्ही क्रॉर ले बोर्ड अधिपन्ता उपस्थित नही
हुं। लिडाका विवाधीगण अनुपस्थित रहने ले
उनके विरुद्ध एडवोकाट काकाजी कमल में लाई
जाली है। अर्थी के अधिपन्ता की एडवोकेट वहाल
तुनी गई अर्थी के अधिपन्ता डायु बलाका की अर्थी
व विवाधीगणों के प्यातेसारी खेल लेहा लेह काये
हुए है। अर्थी व विवाधीगणों के खेलों के मध्य
जो पुरानी मटे व डो काये हुए थे जो बलमान
में कायेथो की वजह से बिपार गये है। जिस
कारण अर्थी को अपने खेल के लेहो का सही
जान नही हो पा रहा है। वहाल टोने पर विवाधी-
गण अर्थी के प्यातेसारी खेल में डाल डर लेली है।
जिस कारण अर्थी को अपने प्यातेसारी खेलों की पन्ही
नेपामबन्ती डरवाना काकश्यडु हो इसलिए अर्थी का
नेपामबन्ती काकेन स्वडिआ विना जाडर नेपामबन्ती
क्रोश विना जावे।

कारण: अर्थी अधिपन्ता के निवेदन
पर अर्थी का नेपामबन्ती काकेन स्वडिआ विना
जाडर लहलीलडाए बाबडुड को डमिशान व सम्बधित
भू डमिलेथे मिदिस्तुड को सहायडु डमिशान मिथुक्त
विना जाडर क्रोश विना जाला है कि काय स्वयं का
सहायडु डमिशान ले अर्थी के प्यातेसारी खेलों की
पन्ही नेपामबन्ती मोडे पर डमिशान सुलड जमा-
डराडर हुं। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पनावली हो पनावली फंसल सुमाए दोडर डन
नम्बर ले डम हो डायिल इपतर हो।

19.2.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 19/02/2020

भांक/वाद/2019/ 170

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

विस्धाराम पुत्र नैनाराम जाति जाट
निवासी चौखला

मोहनराम पुत्र हडुमानराम वगैरा
निवासी चौखला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 500.../2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी व सखरोड़ा पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 734/18, 735/18 व 138/72 कमशः रकबा 35.08, 13.00 व 17.05 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबन्दी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।



19.2.2020
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 19/02/2020

क्रमांक/वाद/2020/ 171 to 175

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विस्धाराम पुत्र नैनाराम
4. विप्रार्थीगण मोहनराम पुत्र हडुमानराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

19.2.2020
सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु